"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना ड़ाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 274] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 4 जुलाई 2017—— आषाढ़ 13 , शक 1939

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 1 जुलाई 2017

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10-46/2017/वाक/पांच(90). — छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (क्रमांक 7 सन 2017) की धारा 10 की उपधारा (1) के परंतुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, एतदद्वारा, परिषद् की सिफारिशों पर विहित करती है कि ऐसा कोई पात्र रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त पचहत्तर लाख रुपए से अधिक नहीं है, उसके द्वारा संदेय राज्य कर के बदले में, निम्नलिखित की दर पर संगणित रकम का संदाय करने का विकल्प ले सकेगा,--

(i) किसी विनिर्माता के मामले में राज्य में आवर्त का एक प्रतिशत ;

(ii) उक्त अधिनियम की अनुसूची 2 के पैरा 6 के खंड (ख) में निर्दिष्ट प्रदाय करने में लगे हुए व्यक्तियों के मामलें में राज्य में आवर्त का ढाई प्रतिशत ; और

(iii) अन्य प्रदायकर्ताओं के मामले में राज्य में आवर्त का आधा प्रतिशत :

परंतु, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, उक्त अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (1) के अधीन प्रशमन उद्ग्रहण के लिए विकल्प लेने के लिए पात्र नहीं होगा, यदि ऐसा व्यक्ति ऐसे माल का विनिर्माता है, जिसका वर्णन नीचे सारणी के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट है और उक्त सारणी के स्तंभ (2) में तत्स्थानी प्रविष्टि में यथाविर्निर्दिष्ट, यथास्थिति, टैरिफ मद, उपशीर्ष, शीर्ष या अध्याय के अंतर्गत आता है :--

सारणी

क्र.सं.	टैरिफ मद, उपशीर्ष, शीर्ष या अध्याय	वर्णन
(1)	(2)	(3)
1.	2105 00 00	आइसक्रीम और अन्य खाद्य बर्फ, चाहे उसमें कोका मिला है या नहीं
2.	2106 90 20	पान मसाला
3.	24	सभी माल, अर्थात् तम्बाखू और विनिर्मित तम्बाखू विकल्प

स्पष्टीकरण–

(1) इस सारणी में, "टैरिफ मद", "उपशीर्ष", "शीर्ष" और "अध्याय" से सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट क्रमश: टैरिफ मद, उपशीर्ष, शीर्ष और अध्याय अभिप्रेत होगा ।

(2) उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची, जिसके अंतर्गत पहली अनुसूची के अनुभाग और अध्याय टिप्पण तथा साधारण सुस्पष्टिकरक टिप्पण भी हैं, के निर्वचन के लिए नियम, जहां तक हो सके, इस अधिसूचना के निर्वचन के लिए लागू होंगे।

2. यह अधिसूचना 1 जुलाई, 2017 से प्रवृत्त होगी ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 1 जुलाई 2017

क्रमांक एफ-10-46/2017/वाक/पांच(90). — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10-46/2017/वाक/पांच(90), दिनांक 01—07—2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से, एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

Naya Raipur, the 1st July 2017

NOTIFICATION

No. F-10- 46/2017/CT/V (90). — In exercise of the powers conferred under the proviso to sub-section (1) of section 10 of Chhattisgarh Goods and Services Tax Act, 2017 (No. 7 of 2017), (hereinafter referred to as the said Act), the State Government, on the recommendations of the Council, hereby prescribes that an eligible registered person, whose aggregate turnover in the preceding financial year did not exceed seventy five lakh rupees, may opt to pay, in lieu of the State tax payable by him, an amount calculated at the rate of,—

(i) one percent of the turnover in State in case of a manufacturer,

(ii) two and a half percent of the turnover in State in case of persons engaged in making supplies referred to in clause (b) of paragraph 6 of Schedule II of the said Act, and

(iii) half percent. of the turnover in State in case of other suppliers:

Provided that, the registered person shall not be eligible to opt for composition levy under sub-section (1) of section 10 of the said Act if such person is a manufacturer of the goods, the description of which is specified in column (3) of the Table below and falling under the tariff item, sub-heading, heading or

Chapter, as the case may be, as specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table:-

TABLE

S. No.	Tariff item, sub-heading, heading or Chapter	Description
(1)	(2)	(3)
1.	2105 00 00	Ice cream and other edible ice, whether or not containing cocoa.
2.	2106 90 20	Pan masala
3.	24	All goods, i.e. Tobacco and manufactured tobacco substitutes

Explanation –

(1) In this Table, "tariff item", "sub-heading", "heading" and "chapter" shall mean respectively a tariff item, sub-heading, heading and chapter as specified in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975).

(2) The rules for the interpretation of the First Schedule to the said Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), including the Section and Chapter Notes and the General Explanatory Notes of the First Schedule shall, so far as may be, apply to the interpretation of this notification.

2. This notification shall come into force with effect from the 1st day of July, 2017.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. P. TRIPATHI, Special Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2017.